[2021] 14 एस. सी. आर 863

विद्युत स्टील सीमित

वी.

भारत और ओआरएस का संघ। ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 7576-7577 2021 का)

09 दिसंबर, 2021

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986-पूर्व कार्योत्तर

पर्यावरण मंजूरी-तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने आवेदन किया

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने बोकारा जिले में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) देने के लिए-अपीलार्थी ने अपने आवेदन में कहा कि परियोजना में कोई वन भूमि शामिल नहीं थी-प्राप्त करने के बाद

ई. सी., अपीलार्थी ने जे. एस. पी. सी. बी. को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत 'स्थापना के लिए सहमति' (सी. टी. ई.) देने के लिए आवेदन किया-जे. एस. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी को इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सी. टी. ई. प्रदान किया भले ही सी. टी. ई. को अपीलार्थी को बोकारो जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन अपीलार्थी ने इसे अनुमत स्थल से 5.3 किलोमीटर दूर स्थापित किया-सी. टी. ई. को समय-समय पर बढ़ाया गया था-हालाँकि, जे. एस. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी के ई. सी. को इस आधार पर रद्द करने का आदेश जारी किया कि अपीलार्थी ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया था और ई. सी. की शर्तों का उल्लंघन करके अपने स्थान को वहां स्थानांतरित कर दिया था-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। 1986 का अधिनियम कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी को प्रतिबंधित नहीं करता है, कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी हालांकि नियमित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में-कार्योत्तर अनुमोदन को केवल दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए-वर्तमान तथ्यों में, इस्पात संयंत्र ई. सी. या जे. एस. पी. सी. बी. की सहमति के बिना शुरू नहीं किया गया था अपीलार्थी ने जोर देकर कहा था कि इस्पात संयंत्र का कोई भी हिस्सा किसी भी जंगल में नहीं है जिसकी पुष्टि एम. ओ. ई. एफ. ने भी की थी-अपीलार्थी ने विधिवत आवेदन किया था

इसके अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना वन मंजूरी को पूर्व-तथ्य मंजूरी

और यह विवाद कि इसका इस्पात संयंत्र वन भूमि पर नहीं है-अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले और सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान को बिना पूर्व ईसी के अपनी साइट को स्थानांतरित करने की तकनीकी अनियमितता के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए-जेएसपीसीबी को निर्देश दिया गया था कानून के अनुसार संशोधित निर्वाचन आयोग के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर कार्रवाई करना-उच्च न्यायालय ने दो साल से लागू अंतरिम आदेशों को खाली करने में गलती की।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. सवाल यह है कि क्या कोई प्रतिष्ठान देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और प्रदान करता है

पर्यावरण मंजूरी, प्रतिष्ठान को आवश्यक मंजूरी और अनुमति प्राप्त करके अपने संचालन को नियमित करने के अवसर के बिना, भले ही प्रतिष्ठान अन्यथा प्रदूषण कानूनों या प्रदूषण, यदि कोई हो, का उल्लंघन नहीं कर रहा हो, आसानी से और प्रभावी ढंग से जाँच की जा सकती है। जवाब नकारात्मक होना चाहिए। [पैरा 82] [885-डी-ई]

2. 1986 का अधिनियम पूर्व कार्योत्तर निषेध नहीं करता है।

पर्यावरण मंजूरी। कुछ छूट और यहां तक कि नियमों, विनियम अधिसूचनाओं और/या लागू आदेशों के सख्त अनुपालन में कानून के अनुसार पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान, उपयुक्त मामलों में, जहां परियोजनाएं अनुपालन में हैं, या पर्यावरण मानदंडों का पालन करने के लिए बनाई जा सकती हैं, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यदि ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों का पालन करती हैं तो न्यायालय अर्थव्यवस्था या परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और परियोजना पर निर्भर अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान नहीं हो सकता है। [पैरा 84] [885-जी-एच; 886-ए-बी]

3. हालांकि पूर्व कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी नियमित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए। जहां कार्योत्तर अनुमोदन के प्रतिकूल परिणाम कार्योत्तर अनुमोदन के अनुदान द्वारा किसी उद्योग के संचालन के नियमितीकरण के परिणामों से अधिक होते हैं और संबंधित उद्योग या प्रतिष्ठान अन्यथा अपेक्षित प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप होते हैं, वहां विद्युत इस्पात सीमा 5.

भारत का संघ

पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए,

लागू नियमों, विनियमों और/या अधिसूचनाओं के साथ सख्त अनुपालन। कार्योत्तर अनुमोदन को केवल दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। विचलित उद्योग को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और पर्यावरण की बहाली की लागत इससे वसूल की जा सकती है। [पैरा 87] [891-जी-एच; 892-ए-बी]

4. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने लागू अंतरिम आदेशों को निरस्त करते हुए विवादित आदेश पारित करने में गलती की।

संयंत्र पर्यावरण मंजूरी या जे. एस. पी. सी. बी. की सहमति के बिना शुरू किया गया था। अपीलार्थी ने मौज़ा दक्षिण परबतपुर में 1350 एकड़ भूमि पर एक एकीकृत इस्पात संयंत्र (3 एम. टी. पी. ए.) स्थापित करने के लिए आवेदन किया था और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की थी, जैसा कि ऊपर देखा गया है। 21 फरवरी 2008 को पर्यावरण मंजूरी दी गई थी और 5 मई 2008 को जे. एस. पी. सी. बी. द्वारा संचालन के लिए सहमति दी गई थी। विवादित आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने एक एकीकृत इस्पात संयंत्र को बंद करने के परिणामों की अनदेखी की 300 नियमित और 700 अनुबंधित श्रमिकों का कार्यबल। उच्च न्यायालय यह भी समझने में विफल रहा कि अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स में इस न्यायालय का निर्णय तथ्यों पर अलग था।

इसके अलावा, अनुमति देने वाले अंतरिम आदेशों को जारी रखना

किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का संचालन या औद्योगिक प्रतिष्ठान को संशोधित ई. सी. का अनुदान भी उल्लंघन के लिए उस प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है। 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर जुर्माना लगाना भी शामिल है। जे. एस. पी. सी. बी. को आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है

तीन के भीतर कानून के अनुसार संशोधित निर्वाचन आयोग के लिए अपीलार्थी महीनों तक। [पारस 88,94,95] [892-बी-डी; 893-ई-एफ; 894-ए]

इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-कानूनी कार्रवाई और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। (1996) 3 एससीसी 212: [1996] 2 एस. सी. आर. 503 एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम रोहित

प्रजापति और अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 347;

लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2011) 7 एससीसी 338: [2011] 7 एस. सी. आर. 954 संदर्भित है।

[202

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1996] 2 एससीआर 503

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[2011] 7 एससीआर 954

संदर्भित किया गया है

पैरा 85

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 7576

7577 2021 से।

उच्च न्यायालय के 16.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. पी. में रांची में झारखंड का (ग) 2018 का Nos.4850 और 1873।

हरीश एन. साल्वे, कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अनुराधा

दत्त, सुश्री सुमन यादव, सुश्री निकिता सूरी, ध्रुव नायर, कुणाल दत्त, निनाद लॉड, अनीश कपूर, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, इवो डी कोस्टा, आदित्य प्रताप सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, गुरमीत सिंह मक्कर, शैलेश

मडियाल, केतन पॉल, सुश्री दिव्यांशी एच. राठी, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, रविशंकर द्विवेदी, कुमार अनुराग सिंह, सौरभ जैन, सुश्री तुलिका मुखर्जी, जैन ए. खान, श्वेतांक सिंह, सुश्री आस्था श्रेष्ठ, राजेश आर. दुबे, संतोष मिश्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें 16 सितंबर 2020 के एक आदेश के खिलाफ हैं।

डब्ल्यू. पी. में झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित। (सी) 2018 का No.1873 और W. P. (ग) 2018 का सं. 4850, उच्च न्यायालय द्वारा पहले पारित अंतरिम आदेशों को बंद करते हुए, अपीलार्थी को प्रतिवादी-झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यवेक्षी नियामक नियंत्रण के तहत अपनी इकाई का संचालन करने की अनुमति देता है, जिसे इसके बाद "जे. एस. पी. सी. बी". के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो दो साल से अधिक समय से लागू था।

3. अपीलार्थी 1.5 एम. टी. पी. ए. के एकीकृत इस्पात का मालिक है और उसे चलाता है।

झारखंड के बोकारो जिले में संयंत्र। बोकारो में उक्त इस्पात संयंत्र, जिसमें 3,000 नियमित कर्मचारी और 7000 संविदात्मक कर्मचारी कार्यरत हैं, ने वित्तीय वर्ष में 4200 करोड़ रुपये के इस्पात का उत्पादन किया।

4. अपीलार्थी का दावा है कि उनके अलावा लगभग 30,000 व्यक्ति

वास्तव में इस्पात संयंत्र द्वारा नियमित या संविदात्मक कर्मचारियों के रूप में नियोजित अपनी आजीविका के लिए इस्पात संयंत्र पर निर्भर करते हैं।

इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड v. भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

5. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.)

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। सफल समाधान आवेदक के रूप में, वेदांता लिमिटेड ने अपने ऋणों के निर्वहन के लिए 5,320 करोड़ रुपये के भुगतान पर 4 जून 2018 को या उसके आसपास अपीलकर्ता को अपने हाथ में ले लिया। 6. प्रदूषण और पर्यावरण की परिणामी गिरावट खतरनाक अनुपात मान रही है, और सार्वभौमिक चिंता का कारण बन गई है। धुआं, धुआं, मोटरों और मशीनों के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और मिलों, कारखानों और संयंत्रों के संचालन के कारण

पर्यावरण का क्षरण।

7. संयुक्त राष्ट्र चर्चाओं के तत्वावधान में और

पर्यावरण की रक्षा और सुधार और प्रदूषण को रोकने के लिए विचार-विमर्श किया गया है।

8. 1972 में, मानव पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

तरीकों और साधनों पर काम करने के लिए स्टॉकहोम में पर्यावरण का आयोजन किया गया था

पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। विचार-विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। भारत ने सम्मेलन में भाग लिया और पर्यावरण के बारे में दृढ़ता से आवाज उठाई।

चिंताएँ।

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जिसे इसके बाद "1986 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया है।

जून, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित।

10. 1986 के अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में घोषणा की गई है कि अधिनियम पर चिंता के कारण प्रेरित किया गया है

पर्यावरण, जो साठ के दशक से दुनिया भर में विकसित हुआ है। 11. 1986 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) केंद्र सरकार को ऐसे सभी उपाय करने का अधिकार देती है जो उसे आवश्यक लगे।

या पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से समीचीन है।

12. 1986 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) केंद्र सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय करने में सक्षम बनाती हैः

" (i) राज्य सरकारों, अधिकारियों द्वारा कार्यों का समन्वय

और अन्य प्राधिकरण -

(क) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत; या [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) तत्काल लागू किसी अन्य कानून के तहत जो

इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है;

((ii) पर्यावरण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसका निष्पादन करना।

प्रदूषण;

((ग) पर्यावरण की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक निर्धारित करना। ((iv) विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करनाः

बशर्ते कि इस खंड के तहत विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जन या निर्वहन के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए जा सकते हैं। ऐसे स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन की गुणवत्ता या संरचना को ध्यान में रखते हुए;

(v) उन क्षेत्रों का प्रतिबंध जिसमें कोई उद्योग, संचालन या

प्रक्रियाएँ या उद्योगों के वर्ग, संचालन या प्रक्रियाएँ कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं की जाएंगी या की जाएंगी।

((viii) ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्रियों और पदार्थों की जांच करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना हो। (ix) पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान करना और प्रायोजित करना;

(x) किसी भी परिसर, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रक्रियाओं, सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण

और आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारियों, अधिकारियों या व्यक्तियों को ऐसे निर्देश देना जो पर्यावरण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए कदम उठाने के लिए आवश्यक समझे।

प्रदूषण;

(xi) इस अधिनियम के तहत ऐसी पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थानों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थानों की स्थापना या मान्यता; निर्वाचक स्टील लिमिटेड v.

(xii) के संबंध में जानकारी का संग्रह और प्रसार पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामले;

(xiii) पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित नियमावली, संहिता या गाइड तैयार करना;

(xiv) ऐसे अन्य मामले जो केंद्र सरकार मानती है।

सुरक्षा के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन

इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन।

13. 1986 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" केंद्र सरकार, यदि वह इसे आवश्यक समझती है या

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना समीचीन है, आदेश द्वारा,

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, एक प्राधिकरण का गठन करता है या

ऐसे नाम या नामों से अधिकारी जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं

इस तरह के अभ्यास और प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए आदेश

इस अधिनियम के संबंध में और ऐसे उपाय करने के लिए उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामले जो आदेश में उल्लिखित किए जा सकते हैं और उनके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन हैं।

केंद्र सरकार और ऐसे आदेश के प्रावधान, जैसे कि प्राधिकारी या अधिकारी शक्तियों का प्रयोग या प्रदर्शन कर सकते हैं

कार्य या क्रम में इस प्रकार उल्लिखित उपाय करना

मानो इस तरह के प्राधिकरण या अधिकारियों द्वारा सशक्त किया गया था

यह अधिनियम उन शक्तियों का प्रयोग करने या उन कार्यों को करने के लिए है

या ऐसे कदम उठाएँ।

14. 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय

सरकार के पास धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति है जो वह पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझती है।

15. 1986 के अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि किसी भी चीज के बावजूद

किसी अन्य कानून में निहित, लेकिन 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों और प्रदर्शन का प्रयोग कर सकती है।

1986 के अधिनियम के तहत इसके कार्यों के बारे में, किसी को भी लिखित रूप में निर्देश जारी करें।

व्यक्ति, अधिकारी या कोई प्राधिकरण और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

16. नियम 5 (3) (डी) के साथ पठित 1986 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) और खंड (वी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 1994 को पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी की जिसमें निर्देश दिया गया था कि आधिकारिक राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध किसी भी गतिविधि या नई परियोजना का विस्तार या आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसे अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी (ईसी) नहीं दी गई हो।

17. उक्त अधिसूचना के खंड (2) (I) के तहत, कोई भी व्यक्ति जो

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और आंकड़ों के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सिफारिशें, साइटों के दौरे के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों, प्रभावित आबादी और पर्यावरण समूहों के साथ बातचीत, यदि आवश्यक हो, द्वारा पूरक। प्रतिवेदनों का सारांश, सिफारिशें और वे शर्तें, जिनके अधीन ई. सी. दी गई है, जनहित के अधीन, अनुरोध पर संबंधित पक्षों या पर्यावरण समूहों को उपलब्ध कराई जाएंगी। आई. ए. ए. जनता से अपनी राय मांग सकता है।

उस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था करके निर्दिष्ट अवधि। जनता को, जनहित के अधीन, ई. आई. ए. रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई. एम. पी.) के सारांश तक पहुंच प्रदान की जाएगी। द.

संयंत्र के निर्माण या संचालन की शुरुआत के लिए दी गई मंजूरी पांच साल के लिए वैध होनी चाहिए। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना का खंड IV निगरानी के लिए प्रदान करता है

निर्वाचन आयोग की शर्तों और/या आई. ए. ए. द्वारा निर्धारित सिफारिशों और शर्तों का कार्यान्वयन।

इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड v. भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

19. 27 जनवरी 1994 की उक्त पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में एक मामूली संशोधन किया गया था।

10 अप्रैल 1997 की अधिसूचना, जो सार्वजनिक सुनवाई के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है।

20. एस. ओ. 327 (ई), दिनांक 10 अप्रैल 2001, भारत के राजपत्र, अतिरिक्त में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा। , पं. II, Sec.3 (ii), दिनांक 12 अप्रैल 2001, केंद्र सरकार ने उसे निहित शक्तियों को सौंप दिया है।

1986 अधिनियम की धारा 5 के तहत, संबंधित अध्यक्षों को

मानकों के उल्लंघन के लिए किसी भी उद्योग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को निर्देश जारी करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियाँ

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित प्लास्टिक कचरे सहित जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट और नगरपालिका के ठोस कचरे से संबंधित नियम इस शर्त के अधीन हैं कि केंद्र सरकार ऐसी शक्तियों के प्रत्यर्पण को रद्द कर सकती है या स्वयं उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू कर सकती है, यदि केंद्र सरकार की राय में जनहित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक है।

21. 8 जनवरी 2007 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन किया।

भारत, इसके बाद के मौज़ा दक्षिण परबतपुर में 3 एम. टी. पी. ए. एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए ई. सी. के अनुदान के लिए "एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया।

बोकारो जिले का चंदनकियारी प्रखंड।

22. अपने आवेदन में, अपीलार्थी ने कहा कि मौज़ा दक्षिण परबतपुर में उक्त संयंत्र की स्थापना के लिए 1350 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड और इस परियोजना में कोई वन भूमि शामिल नहीं थी।

23. एक पत्र द्वारा सं। F.No.J-11011/137/2006-1 A-II (i) दिनांक 21 फरवरी 2008, अपीलार्थी को निर्वाचन आयोग प्रदान किया गया था। ई. सी. प्राप्त करने के बाद,

अपीलार्थी ने जे. एस. पी. सी. बी. में वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जिसे इसके बाद वायु प्रदूषण अधिनियम और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के रूप में संदर्भित किया गया है, के तहत "स्थापना के लिए सहमति" (सी. टी. ई.) के अनुदान के लिए आवेदन किया, जिसे इसके बाद जल प्रदूषण अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है।

24. 5 मई 2008 को, जे. एस. पी. सी. बी. ने मौज़ा दक्षिण परबतपुर में 3 एम. टी. पी. ए. एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए अपीलार्थी को सी. टी. ई. प्रदान किया।

बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड। सी. टी. ई. को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. द्वारा प्रदत्त ई. सी. के आधार पर प्रदान किया गया था।

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. सीटीई को समय-समय पर 4 मई 2011 तक बढ़ाया गया था। भले ही सी. टी. ई. अपीलार्थी को बोकारो जिले के चंदनकियारी ब्लॉक के मौज़ा दक्षिण परबतपुर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी ने बोकारो जिले के चास ब्लॉक में मौज़ा भागबंध में इस्पात संयंत्र स्थापित किया, जो उस स्थान से 5.3 किलोमीटर दूर है जिसके लिए ई. सी. और सी. टी. ई. को मंजूरी दी गई थी।

26. एक परिपत्र सं. जे.-11013/41/2006-1A.2 (आई) दिनांक 22 जनवरी,

2010 भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ.) द्वारा जारी किया गया था जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थेः

" इस मंत्रालय के संज्ञान में ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें

परियोजना के प्रस्तावकों ने परियोजना स्थल को बदल दिया है उक्त परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है

या सार्वजनिक सुनवाई के बाद। यह परियोजना

समर्थकों ने इस मंत्रालय से पुनर्वैधीकरण के लिए संपर्क किया है

पर्यावरण मंजूरी नए सिरे से दिए बिना दी गई

पर्यावरण प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया

निकासी। मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया है। परियोजना स्थल में बदलाव से परियोजना प्रभावित लोगों में बदलाव के साथ-साथ अध्ययन क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। प्रभाव क्षेत्र। इस प्रकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन

एक विशेष के लिए आयोजित रिपोर्ट और सार्वजनिक सुनवाई

स्थान को बदले हुए स्थान के लिए मान्य नहीं लिया जा सकता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक सुनवाई के बाद परियोजना स्थल स्थान में किसी भी बदलाव को माना जाएगा

एक नया प्रस्ताव और उसके अनुसार नए सिरे से मूल्यांकन किया जाएगा

ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 के तहत निर्धारित प्रक्रिया प्रदान की गई

संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति संतुष्ट है कि

शिफ्ट इतनी मामूली है कि ई. आई. ए./ई. एम. पी. में कोई बदलाव नहीं होता है, जो कार्यवृत्त में विधिवत दर्ज किया जाता है और सलाहकार की पूर्व स्वीकृति (में) होती है। शुल्क)/एस. ई. आई. ए. ए. श्रेणी 'ए'/श्रेणी 'बी' परियोजनाओं के लिए

क्रमशः सार्वजनिक सुनवाई नहीं करने के लिए प्राप्त किया जाता है

नए सिरे से बदले हुए स्थान के लिए।

यह सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

27. जिला डी. एफ. ओ. (जिला वन अधिकारी) बोकारो ने 4 मई 2010 को संदर्भ संख्या 1142 के माध्यम से जे. एस. पी. सी. बी. से अनुरोध किया।

बोकारो इलेक्ट्रॉस्टील स्टील लिमिटेड के चास ब्लॉक के मौजा भागबंध में वन भूमि पर अपना एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करना।

भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

जिला, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और भारतीय वन अधिनियम 1927 का उल्लंघन करते हुए। डी. एफ. ओ., बोकारो ने जे. एस. पी. सी. बी. को अपीलार्थी द्वारा अधिसूचित वन भूमि के 220.88 एकड़ के अतिक्रमण की सूचना दी।

28. ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों के खिलाफ मामले शुरू किए गए थे

भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1955 के तहत अपीलकर्ता जो

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 25 जनवरी 2011 के एक आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है।

29. 23 सितंबर 2010 को या उसके आसपास अपीलार्थी ने वायु प्रदूषण अधिनियम और जल के तहत संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) के लिए आवेदन किया।

इसकी 350 मीटर 3 विस्फोट भट्टी के लिए प्रदूषण अधिनियम। बाद में 9 सितंबर 2011 को, अपीलार्थी ने अपने पूरे संयंत्र के संबंध में सीटीओ के लिए आवेदन किया।

30. 2 दिसंबर 2011 के एक पत्र द्वारा, को संबोधित

सार्वजनिक सुनवाई। 31. 18 मई 2012 के पत्र द्वारा, जे. एस. पी. सी. बी. ने वन भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अपीलार्थी द्वारा एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी., नई दिल्ली को कथित उल्लंघन की सूचना दी। एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. को एम. ओ. ई. सी. एंड सी. सी. द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एकीकृत इस्पात संयंत्र को बोकारो जिले के चंदनकियारी ब्लॉक के मौज़ा दक्षिण परबतपुर से बोकारो जिले के चास ब्लॉक के मौज़ा भागबंध में अनधिकृत रूप से स्थानांतरित करने के बारे में भी सूचित किया गया था।

32. जे. एस. पी. सी. बी. की रिपोर्ट के अनुसार, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने 6 जून 2012 को अपीलार्थी को जे. एस. पी. सी. बी. की धारा 5 के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी किया।

1986 का अधिनियम। अपीलार्थी ने 20 जून 2012 को कारण बताएँ नोटिस में अपना जवाब प्रस्तुत किया। 33. 10 सितंबर 2012 को, अपीलार्थी ने एक बार फिर जल प्रदूषण अधिनियम और वायु के तहत एक वर्ष के लिए सीटीओ के लिए जेएसपीसीबी में आवेदन किया।

प्रदूषण अधिनियम। अपीलार्थी के अनुसार, एमओईएफ एंड सीसी को कई अनुस्मारक भेजे गए थे, जिसमें एमओईएफ एंड सीसी से अपीलार्थी को जारी किए गए कारण बताएँ नोटिस के परिणाम के बारे में जे. एस. पी. सी. बी. को सूचित करने का अनुरोध किया गया था। हालाँकि, जे. एस. पी. सी. बी. को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. अपीलार्थी ने जे. एस. पी. सी. बी. को अपीलार्थी को अनुमति देने के आदेश के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में डब्ल्यू. पी. No.2247/2012 के रूप में एक रिट याचिका दायर की।

सीटीओ। उक्त रिट याचिका का निपटारा 5 नवंबर 2012 के एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसका परिचालन भाग नीचे दिया गया हैः

" याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए प्रतिवादी 1 और 2

और जैसा कि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, यदि आवश्यक हो, तो याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दें और कानून के तथ्यों और प्रावधानों और संबंधित निर्णयों पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता के आवेदन का पांच सप्ताह के भीतर निपटारा करेंगे।

इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तिथि।

35. 27 नवंबर 2013 को या उसके आसपास, सीटीओ के लिए अपीलार्थी का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी ने

अपने इस्पात संयंत्र की जगह को स्थानांतरित कर दिया और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए वन भूमि का अतिक्रमण किया। 27 नवंबर 2013 के आदेश का परिचालन भाग इस प्रकार हैः

" इस स्तर पर निर्णय के अंतिम परिणाम के अधीन

एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी., नई दिल्ली दिनांकित 6.6.2012 के कारण बताएँ नोटिस के संबंध में, हम वायु (रोकथाम और नियंत्रण) की धारा 21 (4) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सी. टी. ओ. के लिए आवेदन का निपटारा करते हैं।

प्रदूषण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 (4) के तहत सी. टी. ओ. को

उपरोक्त कारण के लिए इकाई "।

36. अपीलार्थी ने अवमानना के लिए एक आवेदन दायर किया

डब्ल्यू. पी. में 2013 का मामला (सी) No.939। (ग) झारखंड उच्च न्यायालय में 2012 का No.2247। अवमानना याचिका में 29 नवंबर 2013 के एक आदेश के अनुसार, जे. एस. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी को सी. टी. ओ. के अनुदान के लिए आवेदनों का निपटारा किया।

37. 17 अप्रैल 2013 के एक पत्र द्वारा, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने वन भूमि के संबंध में झारखंड राज्य से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।

अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया। वन विभाग ने 13 मई, 2014 को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. को एक रिपोर्ट सौंपी।

38. इसके बाद, 20 अक्टूबर 2014 को एक पत्र द्वारा, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी., नई दिल्ली ने वन, पर्यावरण और जलवायु विभाग को निर्देश दिया

परिवर्तन, झारखंड सरकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, जे. एस. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी को वायु प्रदूषण अधिनियम की धारा 31 (ए) और जल प्रदूषण अधिनियम की धारा 33 (ए) के तहत अपने संयंत्र को बंद करने का निर्देश दिया।

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

39. 6 फरवरी 2015 के एक ज्ञापन No.521 द्वारा, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार

डी. जी. पी., झारखंड, रांची और उपायुक्त को निर्देश दिया,

बोकारो भारत सरकार के एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के 20 अक्टूबर, 2014 के पत्र के आलोक में अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

40. जे. एस. पी. सी. बी. के उपरोक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई थी।

41. इसके बाद, अपीलार्थी को 25 अप्रैल 2016 को एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी ने कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब दिया 28 सितंबर 2016 को, यह तर्क देते हुए कि अपीलार्थी ने किसी भी वन भूमि पर अपना संयंत्र स्थापित नहीं किया था और प्रदूषण नियंत्रण के सभी उपाय किए गए थे। हालाँकि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी. सी. सी. एफ.), झारखंड ने 8 अगस्त 2016 को एक संचार द्वारा जे. एस. पी. सी. बी. को सूचित किया था कि अपीलार्थी ने वन भूमि का अतिक्रमण किया था। इसके बाद जे. एस. पी. सी. बी. ने एक बार फिर अपीलार्थी से पी. सी. सी. एफ., झारखंड द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आलोक में कारण दिखाने का आह्वान किया। अपीलार्थी ने 28 सितंबर 2016 को एक पत्र के माध्यम से दोहराया कि संयंत्र परिसर में कोई वन भूमि नहीं थी।

42. जे. एस. पी. सी. बी. ने 13 फरवरी 2017 को एक आदेश सं. बी.-319 पारित किया जिसमें 5 तारीख के निर्देश के आलोक में कारण बताए जाने के नोटिस का निपटारा किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय का फरवरी 2016 और सीटीओ के लिए आवेदन। जे. एस. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी को सी. टी. ओ. प्रदान किया जो 31 दिसंबर, 2017 तक वैध था।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 उन परियोजनाओं के लिए संदर्भ और पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुदान के लिए, जिन्होंने साइट पर काम शुरू कर दिया था, उत्पादन को निम्न सीमा से आगे बढ़ा दिया थाः पर्यावरणीय मंजूरी या पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना उत्पाद मिश्रण को बदल दिया।

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. ने यह आवश्यक समझा कि सभी संस्थाएं

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण विनियमन का पालन करना, पर्यावरण कानूनों का शीघ्रता से पालन करने के लिए लाया जाए, ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके।

और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।

45. एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने ऐसी परियोजनाओं को लाना आवश्यक समझा

और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन में गतिविधियों को जल्द से जल्द, उन्हें अनियंत्रित और अनियंत्रित छोड़ने के बजाय, जो पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक होंगे।

46. इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने मानदंडों के उल्लंघन के मामलों के मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करना और ऐसे पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित करना आवश्यक समझा जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण को हुए नुकसान की पर्याप्त भरपाई की जाए।

47. इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो में-कानूनी कार्रवाई और अन्य। वी.

भारत संघ और सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक या समीचीन उपायों को लागू करने के लिए 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत नुकसान की वसूली की जा सकती है। इस न्यायालय ने पुष्टि की कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार की शक्ति व्यापक थी और इसमें शामिल थे - किसी गतिविधि को प्रतिबंधित करने, किसी उद्योग को बंद करने, उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देने और जहां भी आवश्यक हो, उल्लंघन करने वाले उद्योग पर उपचारात्मक उपायों की लागत लगाने की शक्ति। उपचारात्मक उपायों की लागतों को चुकाने के लिए उत्तरदाताओं के दायित्व के सवाल को "प्रदूषक भुगतान" सिद्धांत से भी देखा जा सकता है।

48. पर्यावरण (संरक्षण) के नियम 5 (3) (डी) के साथ पठित 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) और धारा 3 (2) (वी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए।

नियम, 1986, केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2017 को एस. ओ. 804 (ई) के रूप में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें परियोजना प्रस्तावकों के लिए पूर्व पोस्ट फैक्टो ई. सी. अनुदान का प्रावधान है, जिन्होंने 1986 के अधिनियम या ई. आई. ए. के तहत ई. सी. प्राप्त किए बिना परियोजना शुरू की है, जारी रखी है या पूरी की है।

इसके तहत अधिसूचना जारी की गई।

1 1 (1996) 3 एस. सी. सी. 212 इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड v. भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

49. उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3,4 और 5 इस प्रकार हैं:

" (3) उल्लङ्घन के मामलों में संबंधित राज्य या राज्य प्रदूषण द्वारा परियोजना प्रस्तावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत नियंत्रण बोर्ड और इसके अलावा, संचालन या अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए कोई सहमति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि

परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दी जाती है।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 का यह आकलन करने के लिए कि परियोजना का निर्माण एक ऐसे स्थान पर किया गया है जो प्रचलित कानूनों के तहत अनुमेय है और विस्तार किया गया है जिसे पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के तहत पर्याप्त रूप से चलाया जा सकता है।

पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय; और यदि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष नकारात्मक है, तो कानून के तहत अन्य कार्यों के साथ परियोजना को बंद करने की सिफारिश की जाएगी। (5) यदि उपरोक्त उप-पैरा (4) पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष सकारात्मक हैं, तो इस श्रेणी के तहत परियोजनाओं को उपयुक्त निर्धारित किया जाएगा।

पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए संदर्भ की शर्तें। इसके अलावा, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पारिस्थितिक क्षति, उपचार योजना और प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना के आकलन पर परियोजना के लिए एक विशिष्ट संदर्भ शर्तें निर्धारित करेगी और इसे मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में तैयार किया जाएगा। संग्रह

पारिस्थितिकीय क्षति के आकलन के लिए आंकड़ों का विश्लेषण, उपचार योजना तैयार करना और प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विधिवत अधिसूचित पर्यावरण प्रयोगशाला या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला या पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान की परिषद की प्रयोगशाला द्वारा की जाएगी।

50. 24 अगस्त 2017 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने पाँच साल के लिए सीटीओ के लिए आवेदन किया। 13 नवंबर 2017 को, जे. एस. पी. सी. बी. ने एक कारण दर्शाओ जारी किया।

अपीलार्थी को नोटिस जिसमें अपीलार्थी को पहले दी गई संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) की शर्तों के कथित उल्लंघन की ओर इशारा किया गया है। अपीलार्थी से कारण बताने के लिए कहा गया था कि क्या सीटीओ की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, जबकि सीटीओ के लिए अपीलार्थी का आवेदन पांच साल के लिए लंबित था। 51. 23 नवंबर 2017 को, अपीलार्थी ने शर्तों के अनुपालन को दर्शाते हुए कारण दिखाएँ नोटिस के लिए अपना ऑनलाइन जवाब प्रस्तुत किया

सीटीओ से।

52. 18 दिसंबर 2017 को एक संचार No.2105 द्वारा जे. एस. पी. सी. बी. ने एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. से जे. एस. पी. सी. बी. को इस पर निर्णय के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया।

परबतपुर, झारखंड में एकीकृत संयंत्र के लिए ईसी के अनुदान के लिए शर्तों का पालन न करने के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 5 के तहत अपीलार्थी को ईसी को रद्द करने के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया।

53. जे. एस. पी. सी. बी. द्वारा अपीलार्थी को सी. टी. ओ. जारी करने/नवीनीकरण करने में विफलता से व्यथित होकर, 24 अगस्त 2017 को किए गए उसके आवेदन के अनुसार, अपीलार्थी ने डब्ल्यू. पी. के रूप में एक रिट याचिका दायर की। (ग) 12 अप्रैल 2018 को या उसके आसपास झारखंड उच्च न्यायालय में 2018 की सं. 1873 में जे. एस. पी. सी. बी. को अपीलार्थी को सी. टी. ओ. जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई।

54. 16 जुलाई 2018 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने जे. एस. पी. सी. बी. को नवीनीकरण/अनुदान के आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश में निर्धारित समय के भीतर 24 अगस्त 2017 को सी. टी. ओ. दायर किया गया।

55. उच्च न्यायालय ने आगे एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी को पर्यवेक्षी के तहत अपनी इकाई का संचालन करने की अनुमति दी जाए और

जे. एस. पी. सी. बी. का विनियामक नियंत्रण, जो प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अपीलार्थी द्वारा पालन के रूप में आवधिक जांच कर सकता है।

56. जे. एस. पी. सी. बी. ने 21 अगस्त, 2018 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उस स्तर पर सी. टी. ओ. के लिए अपीलार्थी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, जो निर्णय के अधीन था।

अपीलार्थी को जारी किए गए कारणदर्शक नोटिस पर एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. उक्त आदेश का कार्यात्मक भाग नीचे दिया गया हैः

" इस स्तर पर एमओईएफ एंड सीसी, नई दिल्ली के निर्णय के अंतिम परिणाम के अधीन, दिनांकित कारण बताए जाने के नोटिस के संबंध में 6.6.2012 , हम वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) की धारा 21 (4) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सीटीओ के लिए आवेदन का निपटारा करते हैं।

इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड v. भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

1981 & यू/एस 25 (जल का 40 (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण)

1974 कारण के लिए सी. टी. ओ. को इकाई को "मना" करके

"कहा।

57. इसके बाद अपीलार्थी ने 2018 की रिट याचिका No.1873 में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 25 अगस्त 2018 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन को अनुमति दी और प्रतिवादी को संशोधित रिट याचिका पर अपना एन. एस. ई. दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दियाः

" 10. जहाँ तक अंतरिम राहत का संबंध है, इस अदालत ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश- झारखंड राज्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनांक 23.08.2018 प्रतीत होता है

सीधे अंतिम निर्णय पर निर्भर जो अभी होना बाकी है

पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा लिया गया वर्ष 2012 में याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण दर्शाओ पर परिवर्तन। भारत संघ की ओर से पेश वकील द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार, वे जल्द ही सुनवाई के बाद मामले में अंतिम निर्णय लेने जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता। तदनुसार संचालन, कार्यान्वयन और

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित 23.08.2018 दिनांकित आदेश के निष्पादन पर 27.09.2018 तक रोक लगा दी गई है और 16.07.2018 दिनांकित अंतरिम आदेश को 27.09.2018 तक बढ़ा दिया गया है।

11. जहां तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्णय का संबंध है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता की इकाई इकाई चला रही है और याचिकाकर्ता की इस इकाई में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं, यह अदालत

इस बात को उचित समझें कि संबंधित मुद्दा

याचिकाकर्ता की पर्यावरण मंजूरी पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

जल्द से जल्द।

12. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने अधिकारों (याचिकाकर्ता के अधिकार, स्वामित्व, हित, कब्जा और संपत्ति की प्रकृति सहित) और अग्रिम प्रस्तुतियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कथित उल्लंघन को नियमित करने के लिए अपने प्रस्ताव/आवेदन के साथ भारत संघ से संपर्क कर सकता है।

भारत संघ के प्रत्यर्थी प्राधिकारी के समक्ष उन्हें दिनांक 6.6.2012 पर जारी कारण दर्शाओ नोटिस और उपयुक्त प्राधिकारी, यदि संभव हो, तो एक साथ [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता के उपरोक्त आवेदन पर विचार करें याचिकाकर्ता के कारण बताएँ जवाब के साथ नियमितीकरण इस तरह से किया जाता है कि पूरे विवाद का फैसला हो जाए और याचिकाकर्ता को अपनी इकाई के भाग्य के बारे में भी स्पष्टता हो। भारत संघ द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को किसी भी पक्ष द्वारा नवीनतम पूरक शपथ पत्र दाखिल करके रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए।

25.09.2018 द्वारा।

13. 2018 का आई. ए. सं. 7610 और 2018 का आई. ए. सं. 7613 हैं -

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह न्यायालय याचिकाकर्ता के दावे के गुण-दोष में नहीं गया है और यह इसके लिए खुला रहेगा प्रतिवादी संख्या 3 कानून के अनुसार निर्णय लेगा।

58. 25 अगस्त 2018 के उपरोक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने एमओईएफ को अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

ई. सी. के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा संयंत्र के स्थान को स्थानांतरित करके वन भूमि पर अतिक्रमण करके ई. सी. के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में भी निर्णय।

59. 31 अगस्त 2018 को, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने एक कारणदर्शक नोटिस नं. F.No.J-11011/137/2006-1 A Pt.II (i) दिनांक 31 अगस्त 2018 अपीलार्थी को स्थान स्थानांतरित करके निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए।

इसके पौधे और वन भूमि पर अतिक्रमण।

62. अपीलार्थी ने डब्ल्यू. पी. होने के नाते रिट याचिका दायर की। (ग) निर्वाचन आयोग के निरसन को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में 2018 का No.4850 अपीलार्थी को दिया गया।

63. 27 सितंबर 2018 को उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर 2018 के विवादित आदेश के संचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि निर्वाचक स्टील लिमिटेड v.

भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए विवादित आदेश का अपीलार्थी की इकाई पर गंभीर प्रभाव पड़ा जो एक चालू इकाई थी और जिसने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया था।

64. 4 अक्टूबर 2018 को, अपीलार्थी ने अपने अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पूर्व पोस्ट फैक्टो वन मंजूरी (एफ. सी.) के लिए आवेदन किया। 27 नवंबर 2019 को अपीलार्थी ने अपने अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना "संशोधित" निर्वाचन आयोग के लिए आवेदन किया। इस बीच, 27 सितंबर 2018 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया था। इस तरह के विस्तार 10.10.2018,5.11.2018,11.12.2018,8.1.2019,23.1.2019,16.5.2019,25.7.2019 और 17.10.2019 पर दिए गए थे।

65. 17 दिसंबर 2019 को, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने वन परिवर्तन/निकासी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी में पूर्व कार्योत्तर के अनुसार एक आदेश पारित किया

अपीलार्थी का प्रस्ताव। उक्त आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः

" राज्य के प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच के बाद

सरकार और वन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर और एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी., नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी मंजूरी के आधार पर, केंद्र सरकार इसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत झारखंड राज्य में मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के पक्ष में वन भूमि (174.39 हेक्टेयर अतिक्रमण (पूर्व-कार्योत्तर) और 9.84 हेक्टेयर वर्जिन भूमि) के लिए पूर्व-कार्योत्तर 'सैद्धांतिक' मंजूरी देती है।

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीनः

(i) परिवर्तित वन भूमि की कानूनी स्थिति बनी रहेगी। अपरिवर्तित;

66. 26 फरवरी 2020 के एक आदेश द्वारा, झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि डब्ल्यू. पी. (ग) 2018 की सं. 4850 और

डब्ल्यू. पी. (ग) 2018 का सं. 1873 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ईसी की बहाली के अनुदान या अस्वीकृति पर विचार करने के रास्ते में नहीं आएगा और यह मंत्रालय के लिए खुला होगा कि वह निम्नलिखित के अनुसार उचित निर्णय ले। कानून। लागू अंतरिम आदेशों को बढ़ा दिया गया।

67. इसके बाद 2 मार्च 2020 को एक पत्र के माध्यम से, अपीलार्थी ने एमओईएफ एंड सीसी से अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया।

संशोधित ईसी। इस बीच, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को और बढ़ा दिया गया। अंतरिम आदेशों को 26.2.2020,7.4.2020 और 29.5.2020 पर पारित आदेशों द्वारा बढ़ाया गया था।

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68. रिट याचिका को 19 जून 2020 को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी का संशोधित निर्वाचन आयोग आवेदन योग्यता पर विचार के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई. ए. सी.) के समक्ष रखा जाएगा और उल्लंघन समिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के लिए अपीलार्थी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेगी।

69. 6 अगस्त 2020 और 7 अगस्त 2020 को, अपीलार्थी का मामला ई. ए. सी. की 35 वीं बैठक में रखा गया था। अपीलार्थी को समिति के समक्ष अपना प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

70. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ई. ए. सी. ने प्रस्ताव का मूल्यांकन किया

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई. आई. ए.) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई. एम. पी.) तैयार करने के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तों के साथ-साथ मानक संदर्भ शर्तों को जारी करने की योग्यता और सिफारिश पर। ई. ए. सी. ने नोट किया कि संयंत्र एक चालू इकाई थी और ई. सी. संदर्भ की शर्तों में लगाई गई शर्तों के अधीन थी। 71. 4 सितंबर 2020 को झारखंड उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशों को 8 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया, जबकि उनके जवाब की प्रतीक्षा की जा रही थी।

उत्तरदाताओं। 8 सितंबर 2020 को, उच्च न्यायालय ने 16 सितंबर 2020 को अंतिम सुनवाई के लिए रिट याचिकाओं को सूचीबद्ध करते हुए 16 जुलाई 2018 और 27 सितंबर 2018 के अंतरिम आदेशों के विस्तार पर आदेश सुरक्षित रख लिए।

72. 15 सितंबर 2020 को प्रतिवादी संख्या 1 ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उसे अंतरिम आदेशों के विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं है

यह देखते हुए कि इस्पात संयंत्र ने एक बड़े कार्यबल को नियुक्त किया था। 16 सितंबर 2020 को हुई सुनवाई में जे. एस. पी. सी. बी. ने भी अंतरिम आदेश के विस्तार पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 16 सितंबर 2021 का विवादित आदेश पारित किया-अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आधारों पर पहले के अंतरिम आदेशों को जारी रखाः

एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने,

((i)

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह पाया गया कि अपीलार्थी ने ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 और सामान्य शर्त सं.

((ख)

ईसी दिनांकित 21.02.2008। एमओईएफ एंड सीसी ने ईसी के अनुदान के लिए टीओआर जारी करते समय

((ख)

पिछले उल्लंघनों के लिए 1986 अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। अंतरिम आदेशों का विस्तार कार्रवाई पर रोक लगाने के बराबर होगा।

इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड v. भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

(iii)

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम। रोहित प्रजापति और अन्य 2, इस न्यायालय ने पूर्व पोस्ट फैक्टो ई. सी. को पदच्युत कर दिया था, लेकिन अनुच्छेद के तहत शक्तियों के प्रयोग में कुछ निर्देश पारित किए थे।

142 संविधान से।

73. एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा, एफ. नं. 22-21/2020-1 A III, 7 जुलाई 2021 को एमओईएफ और सीसी ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

) ई. आई. ए. के तहत उल्लंघन के मामलों की पहचान और उन्हें सौंपने के लिए

आईसीएशन 2006।

74. उक्त कार्यालय ज्ञापन, अन्य बातों के साथ, पढ़ता हैः

" मंत्रालय ने 14 मार्च, 2017 को एक अधिसूचना संख्या S.O.804 (E) जारी की थी, जिसमें अनुदान देने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया था।

संदर्भ की शर्तें और पर्यावरण मंजूरी

जिन परियोजनाओं या गतिविधियों ने स्थल पर काम शुरू कर दिया है

और/या उत्पादन को पूर्व की सीमा से आगे बढ़ाया

ईसी या पूर्व ईसी प्राप्त किए बिना उत्पाद मिश्रण को बदल दिया ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के तहत।

2. यह अधिसूचना छह महीने के लिए लागू थी

प्रकाशन की तिथि अर्थात 14.03.2017 से 13.09.2017 और आगे

14.03.2018 से 13.04.2018 तक अदालत के निर्देश के आधार पर।

3. 2020 के मूल आवेदन संख्या 287 में माननीय एनजीटी

दास्तक एन. जी. ओ. बनाम साइनोकेम ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. का मामला। लिमिटेड और ओआरएस। और विनीत नगर बनाम में 2020 के मूल आवेदन संख्या 298 में एक ही विषय से संबंधित आवेदनों में।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और अन्य। , दिनांकित आदेश देखें

03.06.2021 अभिनिर्धारित किया कि "(.) पिछले उल्लंघनों के लिए, संबंधित

अधिकारी इसके अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के साथ, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए "।

4. इसके अलावा, ओ. ए. सं. में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण।

34/2020 तानाजी बी. गाम्बिरे बनाम चीफ के मामले में डब्ल्यूजेड

सचिव, महाराष्ट्र सरकार और अन्य। , आदेश देखें

दिनांकित 24.05.2021 ने निर्देश दिया है कि ". एक उचित एस. ओ. पी. रखी जाए।

ऐसे मामलों में ईसी के अनुदान के लिए ताकि वर्तमान में पालन किए जा रहे बाध्यकारी कानून और व्यवहार में अंतराल को दूर किया जा सके। द.

एम. ओ. ई. एफ. इस तरह के एस. ओ. पी. को सभी एस. ई. आई. ए. ए. एस. को प्रसारित करने पर भी विचार कर सकता है।

देश में "।

5. इसलिए, माननीय के निर्देशों का पालन करते हुए

एनजीटी को उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) तैयार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय के पास 'उल्लंघन' मामलों की विभिन्न श्रेणियां भी हैं जो 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' और 'आनुपातिकता के सिद्धांत' पर आधारित एक अनुमोदित संरचनात्मक/प्रक्रियात्मक ढांचे के अभाव में लंबित हैं। यह निस्संदेह महत्वपूर्ण है कि चूककर्ताओं/उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए और परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया जाए या

गतिविधि या अन्यथा तेजी से की जाती है।

6. माननीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्देशों की सूची और इसमें शामिल मुद्दों में, मामले को तदनुसार किया गया है

मंत्रालय में विस्तार से जांच की गई। एक विस्तृत एस. ओ. पी है

तदनुसार तैयार किया गया है और यहाँ रेखांकित किया गया है। एस. ओ. पी. माननीय न्यायालयों की टिप्पणियों/निर्णयों द्वारा भी निर्देशित है जिसमें आनुपातिकता और प्रदूषकों के सिद्धांत शामिल हैं।

वेतन की रूपरेखा तैयार की गई है "।

75. 7 जुलाई 2021 के उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले सहित विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को संदर्भित करती है और उन्हें प्रभावी बनाती है।

76. मानक संचालन प्रक्रिया के संदर्भ में, उल्लंघन के मामलों में ईसी के अनुदान के प्रस्ताव पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, संभावित प्रभाव के साथ, आनुपातिकता के सिद्धांतों और उस सिद्धांत को लागू करना जो प्रदूषक भुगतान करता है और उपचारात्मक उपायों की लागत के लिए उत्तरदायी है।

77. 15 जुलाई 2021 को फातिमा बनाम भारत संघ में 2021 के डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) 11757 में पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा,

मद्रास उच्च न्यायालय ने मानक संचालन प्रक्रिया के संचालन पर रोक लगा दी है।

78. 25 अगस्त 2021 के एक आदेश द्वारा, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने अपीलार्थी के आवेदन को फिलहाल खारिज कर दिया। आवेदन में है, प्रभाव, स्थगित रखा गया।

79. एमओईएफ ने जाहिर तौर पर ईसी के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि मानक संचालन

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए 15 जुलाई 2021 के उक्त आदेश द्वारा जारी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड v. भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

80. अपीलार्थी ने इस अपील में 2021 का आई. ए. <आई. डी. 1 होने के नाते एक आवेदन दायर किया है, जिसमें संशोधित निर्वाचन आयोग के लिए 5 अगस्त 2020 के अपीलार्थी के आवेदन को संसाधित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 पर निर्देश देने की मांग की गई है।

81. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। एक परियोजना को स्थापित किया जा सकता है या आवश्यक मानदंडों के अनुपालन के अधीन विस्तार करने की अनुमति दी जा सकती है। उपयुक्तता की शर्त पर पर्यावरण मंजूरी दी जाती है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परियोजना को स्थापित करने के लिए स्थल का, और अनुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों का अस्तित्व

पर्यावरणीय मानदंड। भावी पीढ़ियों की रक्षा के लिए, यह आवश्यक है कि प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसी भी परिस्थिति में, क्या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अनियंत्रित रूप से संचालित करने और उन्हें नीचा दिखाने की अनुमति दी जा सकती है?

पर्यावरण। 82. सवाल यह है कि क्या कोई प्रतिष्ठान देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अपनी साइट को स्थानांतरित करने की तकनीकी अनियमितता के लिए बंद किया जाना चाहिए, प्रतिष्ठान को आवश्यक मंजूरी और अनुमति प्राप्त करके अपने संचालन को नियमित करने का अवसर दिए बिना, भले ही प्रतिष्ठान अन्यथा प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहा हो, या प्रदूषण, यदि कोई हो, आसानी से और प्रभावी ढंग से जाँच की जाए। जवाब नकारात्मक होना चाहिए।

83. केंद्र सरकार अपनी शक्तियों के दायरे में है

1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी परियोजना के शुरू होने से पहले पर्यावरण मंजूरी के लिए निर्देशों सहित प्रदूषण को नियंत्रित करने और/या रोकने के लिए निर्देश जारी करने के लिए। पर्यावरण पर परियोजना के प्रभाव की जांच करने पर इस तरह की पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य रूप से दी जाती है। पूर्व-कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी आम तौर पर नहीं दी जानी चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं। साथ ही 1986 के अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं के संदर्भ में पूर्व कार्योत्तर मंजूरी और/या अनुमोदन और/या तकनीकी अनियमितताओं को हटाने को पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो एक चल रहे इस्पात संयंत्र के संचालन को रोकने के परिणामों से अनजान है।

84. 1986 का अधिनियम पूर्व कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी को प्रतिबंधित नहीं करता है। कुछ छूट और यहां तक कि पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान

कानून के अनुसार, नियमों, विनियम अधिसूचनाओं और/या लागू आदेशों के सख्त अनुपालन में, उपयुक्त मामलों में, जहां परियोजनाएं अनुपालन में हैं, या [2021] 14 एस. सी. आर. का पालन करने के लिए बनाई जा सकती हैं।

मानक। 85. जैसा कि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम. भारत संघ 3 ("लाफार्ज") ने (2011) 7 एस. सी. सी. 338 में बतायाः

" 119. समय आ गया है कि हम योग्यता समीक्षा के विपरीत न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पर्यावरण से संबंधित मामलों में संवैधानिक "आनुपातिकता के सिद्धांत" को लागू करें। यह कहा नहीं जा सकता है कि पर्यावरण और उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जो सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांतों के अनुरूप हो, लेकिन इन इक्विटी के संतुलन के लिए नीतिगत विकल्प आवश्यक हो सकते हैं। परिस्थितियों में, अपवादों को छोड़कर, प्राकृतिक के उपयोग से संबंधित निर्णय

न्यायिक समीक्षा के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर संसाधनों का परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी प्रासंगिक कारक हैं

यह सुनिश्चित करना कि एमओईएफ का निर्णय निष्पक्ष और पूरी तरह से सूचित हो, सही सिद्धांतों पर आधारित हो और किसी भी पूर्वाग्रह या संयम से मुक्त हो। एक बार यह सुनिश्चित हो जाने के बाद, निर्णय लेने वाले के पक्ष में "प्रशंसा के अंतर" का सिद्धांत आएगा। खेलने में।

86. अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहाः

" 27. एक पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी की अवधारणा पर्यावरण न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का अपमान है और यह है

27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के लिए एक अभिशाप। यह है,

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

जैसा कि सामान्य कारण में निर्णय मानता है, के लिए हानिकारक

पर्यावरण और अपूरणीय क्षरण का कारण बन सकता है। एक पूर्वव्यापी ईसी या एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए विदेशी होने का कारण यह है कि एक ईसी जारी करने से पहले, वैधानिक अधिसूचना पर्यावरण पर एक प्रस्तावित गतिविधि के संभावित परिणामों के अध्ययन के अलावा, दिमाग के सावधानीपूर्वक अनुप्रयोग की गारंटी देती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करने के बाद ही ईसी जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक सुनवाई, जांच, दायरा और संचालन जैसी आवश्यकताएँ

मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया के घटक हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि औद्योगिक गतिविधि के संभावित प्रभाव या

मौजूदा औद्योगिक गतिविधि के विस्तार पर विचार किया जाता है

निर्णय लेने की गणना। कार्योत्तर मंजूरी की अनुमति देने से औद्योगिक गतिविधियों के संचालन को अनिवार्य रूप से मंजूरी मिल जाएगी

ईसी के अनुदान के बिना। ईसी के अभाव में ऐसी कोई शर्त नहीं होगी जो पर्यावरण की रक्षा करे। इसके अलावा, अगर ई. सी. को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता, तो पर्यावरण को अपूरणीय नुकसान होता। मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, पर्यावरण कानून एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी की धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह दोनों एहतियातों के विपरीत होगा

सिद्धांत के साथ-साथ सतत विकास की आवश्यकता।

87. अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इस न्यायालय ने परिणामों पर विचार करते हुए संबंधित तीन उद्योगों को बंद करने का आदेश पारित नहीं किया।

उनके बंद होने से। इस न्यायालय ने निरीक्षण किया और अभिनिर्धारित कियाः

44. जो मुद्दा अब न्यायालय के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, वह परिणाम है जो तीनों की विफलता से उत्पन्न होगा।

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के मामले में 14 मई 2003 तक, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के मामले में 17 जुलाई 2003 तक और यूनिक केमिकल्स लिमिटेड के मामले में 23 दिसंबर 2002 तक उद्योग अपने ईसी प्राप्त करेंगे। वैध ईसी के बिना तीनों उद्योगों के कारखानों के काम करने से उस क्षेत्र में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जहां वे स्थित हैं। द.

व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2009-2010 के लिए पूरे देश में 88 स्थानों पर पर्यावरणीय गुणवत्ता का वर्णन करता है।

" सीईपीआई

"[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देश को। गुजरात राज्य के अंकलेश्वर, जहाँ तीन उद्योग स्थित हैं, ने प्रदूषण के गंभीर स्तर को दिखाया। 2011 के लिए सी. ई. पी. आई. के अंतरिम मूल्यांकन में, रिपोर्ट

अंकलेश्वर क्षेत्र में प्रदूषण के समान महत्वपूर्ण आंकड़ों को इंगित करता है। 2013 और 20188 के लिए सी. ई. पी. आई. अंक भी काफी अधिक थे। यह एक संकेत है कि औद्योगिक इकाइयाँ अनियमित तरीके से काम कर रहे हैं और

कानून की अवहेलना। औद्योगिक इकाइयों के संचालन से होने वाली कुछ पर्यावरणीय क्षति अपरिवर्तनीय होगी। हालांकि, जहां तक संभव हो, सुरक्षा और संरक्षण के उपाय करके कुछ नुकसान को ठीक किया जा सकता है।

पर्यावरण।

45. भले ही तीनों उद्योगों द्वारा पर्यावरण को हुए नुकसान की सटीक सीमा को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित करना संभव नहीं है, फिर भी क्षतिपूर्ति के उचित उपाय का निर्धारण करने में कई परिस्थितियों को न्यायालय के साथ तौलना चाहिए। पहला, यह विवाद में नहीं है कि तीनों उद्योगों ने ई. सी. प्राप्त किया था, हालांकि यह 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना और उत्पादन शुरू होने के कई साल बाद था। दूसरा, ईसी के अनुदान के बाद, तीनों उद्योगों की विनिर्माण इकाइयों ने समय-समय पर क्षमता के विस्तार के लिए ईसी भी प्राप्त किए हैं। तीसरा, एमओईएफ ने 5 नवंबर 1998 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें ईसी के लिए आवेदन 31 मार्च 1999 तक दायर करने की अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में 30 जून 2001 तक बढ़ा दिया गया था। 14 मई 2002 को, समय सीमा को जमा के अधीन 31 मार्च 2003 तक बढ़ा दिया गया था।

किए गए निवेश के अनुरूप। ई. सी. प्राप्त करने के लिए समय बढ़ाने के लिए एम. ओ. ई. एफ. द्वारा जारी किए गए परिपत्र

गोवा फाउंडेशन (I) v में इस न्यायालय की सूचना। भारत संघ '। चौथा, हालांकि मामले के तथ्यों के संदर्भ में, लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ ("लाफार्ज") ने पूर्व पद प्रदान करने के निर्णय को बरकरार रखा है।

चूना पत्थर खनन परियोजनाओं के संबंध में वास्तविक मंजूरी

मैं स्कोर करता हूँ-85.75 मैं स्कोर करता हूँ-80.93

अंक-80.21

5) 11 एस. सी. सी. 559

1) 7 एस. सी. सी. 338 इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड v. भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

मेघालय राज्य। लाफार्ज में, अदालत ने निपटा

यह सवाल कि क्या पूर्व कार्योत्तर मंजूरी दूषित हो गई थी परियोजना द्वारा भूमि की प्रकृति के कथित दमन द्वारा

प्रस्तावक और क्या मन का गैर-अनुप्रयोग था

एम. ओ. ई. एफ. द्वारा मंजूरी देते समय। सँभालते समय

पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी, अदालत ने माना कि देशी

निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासी शामिल थे और वह

एम. ओ. ई. एफ. ने आश्वस्त करने के लिए एक उचित परिश्रम दृष्टिकोण अपनाया था

के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में रिपोर्टों के माध्यम से स्वयं परियोजना।

(जोर दिया गया)

46. लाफार्ज में निर्णय को स्वीकार करने के बाद, एक और पीठ

इलेक्ट्रोथर्म (भारत) में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों में से

सीमित वी। पटेल विपुलकुमार रामजीभाई "ने इस मुद्दे को संभाला।

क्या किसी निर्वाचन आयोग ने अपीलार्थी को विस्तार के लिए मंजूरी दी है सार्वजनिक सुनवाई के बिना कानून में वैध था। न्याय

पीठ की ओर से बोलते हुए उदय उमेश ललित ने इस प्रकार कहाः

" 19 ..... या को समाप्त करने में निर्णय लेने की प्रक्रिया

सार्वजनिक परामर्श/जनता से छूट देने में सुनवाई , सही सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी और इस तरह

निर्णय अमान्य और अनुचित था।

ई. सी. ने सार्वजनिक सुनवाई के बिना बंद करने का निर्देश नहीं दिया अपीलार्थी की इकाई और इसके बजाय इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गयाः

" 20. साथ ही, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि

2010 , परियोजना का विस्तार किया गया है और जैसा कि सी. पी. सी. बी. द्वारा 7-7-2014 पर दायर अपने हलफनामे में बताया गया है,

सी. पी. सी. बी. द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों का पालन किया जाता है। के साथ। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, न्याय का हित होगा

यदि निर्णय का वह हिस्सा जनता को छूट देता है तो उसे छूट दी जाएगी।

परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई को अलग कर दिया जाता है और मामला है प्रभावी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को वापस भेज दिया गया

सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई। हालांकि, जब से

उद्योग का विस्तार किया गया है और

कार्य करते हुए, हम इसे बंद करने का आदेश देना उचित नहीं समझते हैं

उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरे संयंत्र का। अगर

सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई के परिणाम नकारात्मक होते हैं।

जिन स्तर तक गतिविधियों की अनुमति दी गई थी पर्यावरणीय मंजूरी दिनांक 20-2-2008। अगर सार्वजनिक

परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई पक्ष में प्रतिबिंबित होती है

परियोजना का विस्तार, पर्यावरणीय मंजूरी दिनांकित

27-1-2010 यह अच्छा रहेगा और पूरी तरह से काम करेगा। अन्य में

शब्दों में, इस समय की लंबाई में जब विस्तार पहले से ही है

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में और

न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, हम इसे उचित समझते हैं

सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता की प्रकृति को बदलना /

निर्णय से पहले से लेकर निर्णय के बाद तक सार्वजनिक सुनवाई। द. सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाएगा

आज से तीन महीने के भीतर संबंधित अधिकारी। ”

(जोर दिया गया)

48. उपरोक्त से निकलने वाले उपदेशों द्वारा निर्देशित

निर्णयों पर, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि हालांकि तीनों उद्योग कई वर्षों तक ईसी के बिना संचालित हुए

1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के बाद, उनमें से प्रत्येक ने

बाद में मौजूदा क्षमताओं के विस्तार के लिए संशोधित ईसी सहित ईसी प्राप्त हुए। ये ईसी हैं

14 मई 2003 से चालू (अलेम्बिक के मामले में)

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड), 17 जुलाई 2003 (यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के मामले में), और 23 दिसंबर 2002 (मामले में)

यूनिक केमिकल्स लिमिटेड)। इसके अलावा, तीनों इकाइयाँ बुनियादी ढांचागत निवेश किया है और रोजगार दिया है

अपनी औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की महत्वपूर्ण संख्या।

49. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय को एक संतुलित निर्णय लेना चाहिए।

दृष्टिकोण जो उद्योगों को जिम्मेदार ठहराता है अतीत में पर्यावरण मंजूरी के बिना संचालित

संचालन को बंद करने का आदेश। एनजीटी के निर्देश

ई. सी. को निरस्त करने और इकाइयों को बंद करने के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं। साथ ही, न्यायालय पर्यावरण के प्रति बेखबर नहीं हो सकता है।

वैध ईसी के बिना काम करने वाली तीनों उद्योग इकाइयों के कारण गिरावट आई है। तीनों उद्योगों ने कानूनी रूप से इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड v से बचा लिया है।

भारत का संघ

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

ई. सी. प्राप्त करने की बाध्यकारी व्यवस्था। वे बच नहीं सकते हैं

इस तरह के गैर-अनुपालन के कारण होने वाला दायित्व। एक बाध्यकारी के साथ अवज्ञा के लिए दंड लगाया जाना चाहिए

कानूनी व्यवस्था। उद्योगों की खामियों को छोड़ा नहीं जा सकता। कानूनी परिणामों से अप्रभावित। राशि का उपयोग किया जाना चाहिए

पुनर्स्थापना और पुनर्स्थापना के उद्देश्य से पर्यावरण। इसके बजाय और एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों के स्थान पर, हमारा विचार है कि यह न्याय के हित में होगा कि तीनों उद्योगों को मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया जाए

रु. में मापा गया। 10 प्रत्येक करोड़। राशि जमा की जाएगी।

जी. पी. सी. बी. के साथ और इसका विधिवत उपयोग बहाली के लिए किया जाएगा और

जिस औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग संचालित होते हैं, वहां पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय। हालांकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, संकेतित कारणों से, कि ईसी को रद्द करने और उद्योगों को बंद करने का निर्देश आवश्यक नहीं था, हमने आदेश जारी किया है

संरक्षण के एक पहलू के रूप में मुआवजे के भुगतान के लिए

एहतियाती सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण।

ये निर्देश अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए हैं। संविधान। एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, यूनाइटेड

फॉस्फोरस लिमिटेड और यूनिक केमिकल्स लिमिटेड मुआवजे की राशि जी. पी. सी. बी. के पास जमा करें

इस निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि। यह जमा राशि इसके अतिरिक्त होगी -

अपील करें और एनजीटी के विवादित फैसले को दरकिनार कर दें दिनांक 8 जनवरी 2016 तक जहां तक इसने ईसी को रद्द करने और उद्योगों को बंद करने के साथ-साथ 17 मई 2016 की समीक्षा में आदेश का निर्देश दिया है। ”

87. अधिसूचना 14 मार्च, 2017 की एस. ओ. 804 (ई) होने के कारण एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स (उपरोक्त) में कोई मुद्दा नहीं है। यह न्यायालय 2002 के एक परिपत्र की औचित्य और/या वैधता को स्वीकार कर रहा था जो 27 जनवरी, 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के साथ सुसंगत था। वास्तव में पर्यावरणीय मंजूरी नियमित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। जहाँ के प्रतिकूल परिणाम

पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन और उद्योग [2021] 14 एस. सी. आर. के अनुदान द्वारा किसी उद्योग को नियमित करने के परिणामों की तुलना में वास्तविक अनुमोदन अधिक महत्वपूर्ण है।

अधिसूचनाएँ। कार्योत्तर अनुमोदन को केवल दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। विचलित उद्योग को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और पर्यावरण की बहाली की लागत इससे वसूल की जा सकती है। 88. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने दो वर्षों से लागू अंतरिम आदेशों को रद्द करते हुए विवादित आदेश पारित करने में गलती की।

वर्षों से। आक्षेपित क्रम आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां इस्पात संयंत्र पर्यावरण मंजूरी या जे. एस. पी. सी. बी. की सहमति के बिना शुरू किया गया था। अपीलार्थी ने एक एकीकृत इस्पात स्थापित करने के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया था और प्राप्त किया था जैसा कि ऊपर देखा गया है, मौज़ा दक्षिण परबतपुर में 1350 एकड़ भूमि पर संयंत्र (3 एम. टी. पी. ए.)। 21 तारीख को पर्यावरण मंजूरी दी गई थी।

फरवरी 2008 और संचालन के लिए सहमति जे. एस. पी. सी. बी. द्वारा 5 मई 2008 को दी गई थी।

89. अपीलार्थी ने जिस स्थान के लिए ईसी और सीटीई को मंजूरी दी गई थी, उससे 5.3 किलोमीटर दूर मौज़ा भगबंद में अपना इस्पात संयंत्र स्थापित किया। यह.

अपीलार्थी का तर्क है कि स्थानांतरण मामूली है और ई. आई. ए./ई. एम. पी. में कोई परिवर्तन नहीं करता है जिसके आधार पर ई. सी. दिया गया है। इस बदलाव के लिए एम. ओ. ई. एफ. के 22 जनवरी 2010 के परिपत्र के संदर्भ में नई सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी।

90. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थी को संबोधित 2.12.2011 दिनांकित एक पत्र द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय ने पुष्टि की कि अपीलार्थी का इस्पात संयंत्र पर्यावरण प्रभाव क्षेत्र के भीतर था और प्रभावित लोगों को सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला था। सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता को स्थानांतरण के लिए नई पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी या 22 जनवरी 2010 की उक्त अधिसूचना के तहत छूट के दायरे में था।

91. अपीलार्थी ने हमेशा कहा है कि एकीकृत इस्पात संयंत्र के परिसर का कोई भी हिस्सा किसी भी जंगल में नहीं है। इस प्रकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 या वन का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

संरक्षण अधिनियम, 1980। एमओईएफ ने यह भी पुष्टि की थी कि विचाराधीन इस्पात संयंत्र पर्यावरण प्रभाव क्षेत्र के भीतर था और प्रभावित लोगों को एक सार्वजनिक सुनवाई में अवसर मिला था। चाहे जो भी हो, क्या साइट के स्थानांतरण ने वास्तव में कोई अंतर पैदा किया है इलेक्ट्रॉस्टील स्टील लिमिटेड v.

पर्यावरणीय प्रभाव के दृष्टिकोण से उपयुक्त प्राधिकरण/मंच द्वारा विचार की आवश्यकता होती है।

92. किसी भी मामले में, अपीलार्थी ने अपने अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पूर्व कार्योत्तर वन मंजूरी अनुमोदन के लिए विधिवत आवेदन किया है।

93. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश गलत प्रतीत होता है। हालाँकि, यह न्यायालय उस अंतरिम आदेश की अपील पर सुनवाई नहीं कर रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रोक का मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के संचालन के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है। इसके अलावा, अंतिम निर्णय 7 जुलाई, 2021 से पहले प्रचलित आदेशों/नियमों के अनुसार लिया गया होगा। 94. विवादित आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने एक काम के साथ एक एकीकृत इस्पात संयंत्र को बंद करने के परिणामों की अनदेखी की

300 नियमित और 700 अनुबंधित श्रमिकों का बल। उच्च न्यायालय यह भी समझने में विफल रहा कि अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय तथ्यों पर अलग था। इसके अलावा, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेशों को जारी रखना या यहां तक कि औद्योगिक प्रतिष्ठान को संशोधित ईसी का अनुदान भी इसके खिलाफ कार्रवाई के रास्ते में नहीं आ सकता है। 'प्रदूषक भुगतान करता है' के सिद्धांत पर जुर्माना लगाने सहित उल्लंघन के लिए स्थापना। आई. बी. सी. की धारा 32 ए का दायरा और प्रभाव एक अलग मुद्दा है। इस न्यायालय को इस प्रश्न की जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या अपीलार्थी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है या क्या इस स्तर पर अपीलार्थी से मुआवजे की वसूली की जा सकती है। इस मुद्दे का निर्णय उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उचित स्तर पर किया जा सकता है जब वह अपीलार्थी को दंडित करने या अपीलार्थी से मुआवजे की वसूली के लिए किसी कार्रवाई का निर्णय करता है। संशोधित ईसी, सीटीओ आदि के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा।

पर्यावरण मानदंडों के अनुसार सख्ती से।

95. अपीलों की अनुमति है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है।

ए.

प्रत्यर्थी संख्या 1 कानून के अनुसार संशोधित निर्वाचन आयोग के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेगा। इस तरह के निर्णय के आने तक, इस्पात संयंत्र के संचालन में ईसी, एफसी, सीटीई या सीटीओ की कमी के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

देविका गुजराल